"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 586 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014— कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

### अधिसूचना

क्र. एफ 1–99/18/2014 (1).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पालिका गरियाबंद, जिला– गरियाबंद** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

### आरक्षित वार्डो की सूची

| क्र. | वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया ) | वार्ड क्रमांक | वार्ड का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | अनुसूचित जाति वर्ग | 8 | डाकबंगला वार्ड |
| | | 4 | नया तालाब वार्ड |
| 2. | अनुसूचित जाति वर्ग (महिला) | 10 | डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड |
| 3. | अनुसूचित जनजाति वर्ग | 5 | सिविल लाईन वार्ड |
| 4. | अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला) | 7 | रावणभाठा वार्ड |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग | 6 | रामजानकी वार्ड |
| | | 12 | मानस चौक वार्ड |
| | | 15 | मां शीतला वार्ड |
| 6. | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | 11 | सुभाष चंद्र बोस वार्ड |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | महिला वर्ग | 1 | सांई नगर वार्ड |
| | | 9 | गुरूगोविंद सिंह वार्ड |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जितेन्द्र शुक्ला**, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–99 / 18 / 2014 (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–99 / 18 / 2014 (1) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जितेन्द्र शुक्ला**, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-99/18/2014 (1).— The list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Gariyaband, Distt. Gariyaband** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

**List of the Reserved Wards**

| **Sl. No.** | **Reservation for Category** | **Ward No.** | **Name of the Wards** |
|---|---|---|---|
| 1. | Scheduled Caste | 8 | Dakbanglow Ward |
| | | 4 | Naya Talab Ward |
| 2. | Scheduled Caste (Female) | 10 | Dr. Bheemrao Ambedkar Ward |
| 3. | Scheduled Tribes | 5 | Civil Line Ward |
| 4. | Scheduled Tribes (Female) | 7 | Ravanbhata Ward |
| 5. | Other Backward Class | 6 | Ramjanki Ward |
| | | 12 | Manas Chowk Ward |
| | | 15 | Maa Sheetla Ward |
| 6. | Other Backward Class (Female) | 11 | Subhash Chandra Bose Ward |
| 7. | Female | 1 | Sai Nagar Ward |
| | | 9 | Gurugovind Singh Ward |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

## अधिसूचना

क्र एफ 1–99/18/2014 (2).—– छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत राजिम, जिला– गरियाबंद** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

## आरक्षित वार्डो की सूची

| क्र. | वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया ) | वार्ड क्रमांक | वार्ड का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | अनुसूचित जाति वर्ग | 12 | मां शीतला वार्ड |
| | | | |
| 2. | अनुसूचित जाति वर्ग (महिला) | 13 | गुरू घासीदास वार्ड |
| 3. | अनुसूचित जनजाति वर्ग | – | निरंक |
| 4. | अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला) | – | निरंक |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग | 1 | ब्रम्हचर्य आश्रम वार्ड |
| | | 2 | सुभाष चंद्र बोस वार्ड |
| | | 7 | महामाया वार्ड |
| 6. | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | 5 | गुहा निषादराज वार्ड |
| 7. | महिला वर्ग | 3 | सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड |
| | | 4 | श्री राजीव लोचन वार्ड |
| | | 14 | राजिम भक्तिन वार्ड |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जितेन्द्र शुक्ला,** उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–99/18/2014 (2).—- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–99/18/2014 (2) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जितेन्द्र शुक्ला,** उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-99/18/2014 (2).— The list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Rajim, Distt. Gariyaban** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

**List of the Reserved Wards**

| Sl. No. | Reservation for Category | Ward No. | Name of the Wards |
|---|---|---|---|
| 1. | Scheduled Caste | 12 | Maa Sheetla Ward |
| | | | |
| 2. | Scheduled Caste (Female) | 13 | Guru Ghasidas Ward |
| | | | |
| 3. | Scheduled Tribes | - | Nil |
| | | | |
| 4. | Scheduled Tribes (Female) | - | Nil |
| | | | |
| 5. | Other Backward Class | 1 | Bramhacharya Aashram Ward |
| | | 2 | Subhash Chandra Bose Ward |
| | | 7 | Mahamaya Ward |
| | | | |
| 6. | Other Backward Class (Female) | 5 | Guha Nishadraj Ward |
| | | | |
| 7. | Female | 3 | Sardar Vallabh Bhai Patel Ward |
| | | 4 | Shri Rajiv Lochan Ward |
| | | 14 | Rajim Bhaktin Ward |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

## अधिसूचना

क्र. एफ 1–99/18/2014 (3).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

## आरक्षित वार्डो की सूची

| क्र. | वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया ) | वार्ड क्रमांक | वार्ड का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | अनुसूचित जाति वर्ग | 10 | गुरू घासीदास वार्ड |
| | | 11 | मिनीमाता वार्ड |
| 2. | अनुसूचित जाति वर्ग (महिला) | 12 | विनायक नगर वार्ड |
| 3. | अनुसूचित जनजाति वर्ग | 15 | गणेशपुर वार्ड |
| 4. | अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला) | 14 | बाबा गरीबनाथ वार्ड |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग | 1 | संत कर्मा माता वार्ड |
| | | 3 | मौलीमाता वार्ड |
| | | 5 | परसूराम वार्ड |
| 6. | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | 6 | शिवाजी वार्ड |
| 7. | महिला वर्ग | 8 | गोकुल नगर वार्ड |
| | | 9 | रामनगर वार्ड |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जितेन्द्र शुक्ला**, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–99/18/2014 (3).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–99/18/2014 (3) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जितेन्द्र शुक्ला**, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-99/18/2014 (3).— The list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Fingeshwar, Distt. Gariyaband** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

**List of the Reserved Wards**

| Sl. No. | Reservation for Category | Ward No. | Name of the Wards |
|---|---|---|---|
| 1. | Scheduled Caste | 10 | Guru Ghasidas Ward |
| | | 11 | Minimata Ward |
| 2. | Scheduled Caste (Female) | 12 | Vinayak Nagar Ward |
| 3. | Scheduled Tribes | 15 | Ganeshpur Ward |
| | | | |
| 4. | Scheduled Tribes (Female) | 14 | Baba Garibnath Ward |
| 5. | Other Backward Class | 1 | Sant Karma Mata Ward |
| | | 3 | Moulimata Ward |
| | | 5 | Parsuram Ward |
| 6. | Other Backward Class (Female) | 6 | Shivaji Ward |
| 7. | Female | 8 | Gokul Nagar Ward |
| | | 9 | Ram Nagar Ward |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

## अधिसूचना

क्र. एफ 1–99/18/2014 (4).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत छुरा, जिला– गरियाबंद** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

## आरक्षित वार्डो की सूची

| क्र. | वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया ) | वार्ड क्रमांक | वार्ड का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | अनुसूचित जाति वर्ग | 10 | डॉ. अम्बेडकर वार्ड |
| 2. | अनुसूचित जाति वर्ग (महिला) | 9 | गुरू घासीदास वार्ड |
| 3. | अनुसूचित जनजाति वर्ग | 4 | शीतला पारा वार्ड |
| | | 14 | राजा छत्रशाह वार्ड |
| 4. | अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला) | 3 | दीनदयाल उपाध्याय वार्ड |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग | 1 | आमापारा संजयनगर वार्ड |
| | | 8 | संतोषी पारा वार्ड |
| | | 13 | स्व. त्रिलोक शाह वार्ड |
| 6. | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | 5 | राजा सिंघलशाह वार्ड |
| 7. | महिला वर्ग | 11 | राजा बिगेन्द्र शाह वार्ड |
| | | 12 | झुलेलाल वार्ड |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जितेन्द्र शुक्ला**, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–99/18/2014 (4).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–99/18/2014 (4) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जितेन्द्र शुक्ला**, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-99/18/2014 (4).— The list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Chhura, Distt. Gariyaband** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

**List of the Reserved Wards**

| Sl. No. | Reservation for Category | Ward No. | Name of the Wards |
|---|---|---|---|
| 1. | Scheduled Caste | 10 | Dr. Ambedkar Ward |
| 2. | Scheduled Caste (Female) | 9 | Guru Ghasidas Ward |
| 3. | Scheduled Tribes | 4 | Sheetla Para Ward |
| | | 14 | Raja Chhatrashah Ward |
| 4. | Scheduled Tribes (Female) | 3 | Deendayal Upadhyay Ward |
| 5. | Other Backward Class | 1 | Aamapara Sanjay Nagar Ward |
| | | 8 | Santoshi Para Ward |
| | | 13 | Late Trilok Shah Ward |
| 6. | Other Backward Class (Female) | 5 | Raja Singhalshah Ward |
| 7. | Female | 11 | Raja Bigendra Shah Ward |
| | | 12 | Jhulelal Ward |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.